पुनरीक्षण प्र.क. /
प्रस्तुती दिनांकः 6 /2/2018

श्रामान अध्यक्ष महोदय, राजस्व पषद ग्वालियर

पीठ इन्दौर, इन्होंके समक्ष में

<u>पुनरीक्षण आवेदक की ओर से धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत,</u>

PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा/2018/1419

आयुक्त कार्या. इन्दौर से 20/2/18 को प्रस्तुत। 20/2/18

हाजी इस्माईल भाई पिता हाजी मुल्ला मोहम्मद हुसैन बोहरा

आयु 78 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी डायव्हर्शन रोड़

आरती टॉकीज के सामने खरगोन तहसील व जिला खरगोन म.प्र. --- आवेदक

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
25 श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 06-02-201
को प्रस्तुत।
130
06-02-2018
अधीक्षक

1. मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधी

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, राजस्व खरगोन

2. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,

राजस्व खरगोन --- अनावेदकगण

<u>विषयः</u>– भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तित न मानने, प्रिमियम एवं भूराजस्व के पुननिर्धारण को वर्ष 2011–12 की गाईडलाईन अनुसार न करने तथा दण्डादेश अधिरोपण के आदेश को निरस्त करने बाबद ।

इसमें आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार हैः–

यहकि माननीय अधिनस्थ श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर द्वारा अपने रा.प्र.क.70अपील/2016–17 में दिनांक 9/1/18 को पारित आदेश से असन्तुष्ट एवं परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है।

यहकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 9/1/18 का होने से यह पुनरीक्षण आवेदन अवधि में प्रस्तुत है।

यहकि पुनरीक्षण आवेदन योग्य न्यायशुल्क मुद्रापत्र पर प्रस्तुत है।

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

यहकि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित भूमि कस्बा खरगोन प.ह.क्र.43 खसरा क्र.272/3/3 कुल रकबा 0.162 हेक्टर पूर्व से व्यपवर्तित रही है।

यहकि अधीक्षक परिवर्तित भूमि का यह आक्षेप रहा है कि

PBR/R/जरगौन/मू०रा०/2018/1419

(हाजी इस्माईल / शासन)

18/7/18

DD

आवेदक अभिभाषक सूचना उपरांत / अनुपस्थित / तीन बार पुकार लगवायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अहलमद